दिनांक	टी0ए0 मिस केस सं0 118/2020-21 **आदेश**	अभ्युक्ति
03/09/2020	अभिलेख उपस्थापित। आवेदक **रूपाली देवगम**, पिता/पति–**स्व० कृष्णा देवगम**, ग्राम–लुपुगुंटू, थाना–मुफ्फसिल, जिला–**पश्चिमी सिंहभूम** चाईबासा ने मौजा–लुपुगुंटू, थाना नं०–645, खाता नं०–28 एवं 48, क्रमश प्लॉट नं०–2066, 2072, 2085 एवं 1919,1921, 1922, 2054, क्रमश रकवा– 0.20, 0.40, 0.14, 0.25, 0.19, 0.14, 0.41 कुल रकवा– 1.73 एकड़ भूमि क्रेता **मंजु सुन्डी**, पिता/पति–**जितेन्द्र सुन्डी**,ग्राम–**लातरगंजड़ा**, थाना– **मुफ्फसिल**, जिला **प० सिंहभूम** के पास में बिक्री के द्वारा हस्तान्तरित करने की मांग की गई है। इस संबंध मे छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1) परन्तु (ए) के अन्तर्गत इस न्यायालय से उपरोक्त प्लॉट की बिक्री हेतु आम सूचना निर्गत किया गया। **अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा** से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई, जो प्राप्त हुआ। विक्रेता के द्वारा भी इस संबंध में आवश्यक दास्तावेज प्रस्तुत किया गया। दास्तावेजो के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि **आवेदित भूमि आवेदक के दादा के नाम से हालसर्वे खतियान में दर्ज है। आवेदक का आवेदित भूखंड पर शांतिपूर्वक दखल है।** अंचल अधिकारी, **सदर चाईबासा** का जाँच प्रतिवेदन पत्रांक– 652, दिनांक 01.09. 2020 द्वारा प्राप्त है एवं विक्रेता द्वारा प्रस्तुत आवश्यक दस्तावेजो के अवलोकन से ज्ञात होता है कि ईलाज एवं अन्य घरेलू कार्य हेतु रूपये की आवश्यकता होने के कारण भू–खण्ड को क्रेता **मंजु सुन्डी**, पिता/पति– **जितेन्द्र सुन्डी**, **ग्राम–लातरगंजड़ा, थाना– मुफ्फसिल**, जिला प० सिंहभूम के पास बिक्री करना चाहते हैं। किसी को किसी प्रकार का आपत्ति नहीं है। जाँच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि विक्रेता एवं क्रेता दोनों **मुफ्फसिल थाना** के निवासी है। उक्त दोनों **अनुसूचित जन जाति** के सदस्य हैं। ग्रामीण मानकी का बिक्री करने संबंधी अनुशंसा प्रतिवेदन प्राप्त है जो अभिलेख में संलग्न है। उपरोक्त प्लॉट की बिक्री के पश्चात् आवेदक के पास शेष **3.00 एकड़** भूमि से ज्यादा बचता है। आवेदक के पास भरण पोषण हेतु पैत्रिक भू–सम्पति पर्याप्त है। अतः **संबंधित राजस्व कर्मचारी/अंचल निरीक्षक/अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा** एवं ईलाका मानकी के अनुशंसा के आलोक में आवेदक **रूपाली देवगम**, पिता/पति–**स्व० कृष्णा देवगम**, ग्राम–लुपुगुंटू, थाना– **मुफ्फसिल**, जिला पं० सिंहभूम ने क्रेता **मंजु सुन्डी**, पिता/पति– **जितेन्द्र सुन्डी**, **ग्राम–लातरगंजड़ा, थाना– मुफ्फसिल**, जिला **पं० सिंहभूम** के पास 6,00,000.00 (छः लाख) रूपया में मौजा– लुपुगुंटू, थाना नं०–645, खाता नं०–28 एवं 48, क्रमश प्लॉट नं०–2066, 2072, 2085 एवं 1919, 1921, 1922, 2054,क्रमश रकवा– 0.20, 0.40, 0.14, 0.25, 0.19, 0.14, 0.41 कुल रकवा–1.73 एकड भूमि को बिक्री करने हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1) परन्तु (ए) के अन्तर्गत बिक्री द्वारा हस्तांतरण करने की....अनुमति....दी जाती है। लेखापित 3/9 भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता सदर चाईबासा। 3/9/2020 भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता सदर चाईबासा	

Scanned with CamScanner